

फर्द अहकाम

य- उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोह

विशुद्ध बनाम 2170 साकार

क्रा 16/2025

प्रार्थना पत्र बाबत पंचायतवादी

आज्ञा विस्तृत रूप से

दि.दि.

17.25 वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तल्बी होकर पत्रावली दिनांक 14/7/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोह)

14/7/25 वकील प्रार्थी उपर्युक्त प्रार्थी की तल्बी के मुताबिक उक्त मामले जलद दिनांक 16/7/25 को पेश हो

16/7/25 वकील प्रार्थी उपर्युक्त प्रार्थी ने जलद पेश किया तल्बिक, शिथिल वकील प्रार्थी की वकील प्रार्थी, तथा फावली-या उपर्युक्त विधि वर देवलोका विधि मुताबिक जमा करी एकर 2015-18 के प्रार्थी विंडो (वालेवा) ही तथा उक्त अहकाम नं 85/404/0.50 ही वरने गुमा याग्यमी वर पूर्व दिनांक 2.7.25 को एकर ज्ञान के मुताबिक जे फर्द अहकाम रिपोर्ट से एकर ही पड़ोली

उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोह)

क्र. 16
25

विशेष काम (अठ स.क.म.)
फर्द अहकाम

नाम न्यायालय- उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़ ५०० फस पट्टा ७६

सं	दिनांक आज्ञा / कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दि.
		<p>कोटपूतली के जमी- जमा- कर विवाद नर है। इसलिये जमी- के जित हीमा- चिहनें भी कुश्मा की दखल है जमी- भी पट्टा (७६) मिला जाने का प्रमाण है।</p> <p>इस जमी- पर जमीन- पत्र पट्टा (७६) की सीमा किता जाना है। और (७० नं० ४५/५०५) एका ०.५० हठ परे उन चानचनी की पूर्व में हुए हीमाज्ञान दिनें २.१.२५ से प्रकृत इस जमी- की पट्टी कोटपूतली के हाथ में जमी- की जूदगी- में पट्टा (७६) किता जाने के अर्थ रदकी का कोटपूतली के किता जाने की पावनाय रदकी जायी है।</p> <p>किता इस विवाद को १६/१/२५ को ही इसलिये जमा कर गइ।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)